



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272550
CG-DL-E-14052026-272550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2311]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2311]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

का.आ. 2403(अ).— दिनांक 17.06.2021 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 31.05.2021 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2396 (अ) के आंशिक संशोधन और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, ओडीशा राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री समीर दास, ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओ ए एस), को श्री अश्विनी कुमार नायक, सक्षम प्राधिकारी, गेल इंडिया लिमिटेड, ओडीशा के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/36/2016-जीपी-II (ई-56032)]

रामजीलाल मीना अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2026

S.O. 2403(E).— In partial modification of Government of India notification no. S.O. 2396(E) dated 31.05.2021 published in the Extraordinary Gazette of India dated 17.06.2021 and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Sh. Sameer Dash, Odisha Administrative Service (OAS) in place of Sh. Ashwini Kumar Nayak, Competent Authority, GAIL (India) Limited, Odisha to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on deputation basis, for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s GAIL (India) Limited in the State of Odisha.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/36/2016-GP-II (E-56032)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.